न्यायालयः– विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ प्रकरण और अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01 ब्यावर, जिला ब्यावर

पीठासीन अधिकारी – **विकास सिंह चौधरी, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश सवंर्ग)

जमानत याचिका संख्या – 93/2026

प्र.सू.रि. संख्या – 232/2026, पुलिस थाना साकेत नगर

अपराध अंतर्गत धारा – 08/15 एनडीपीएस एक्ट

हड़मान राम उर्फ हनुमान पुत्र गोरधन, उम्र 40 साल, निवासी–गोरों की ढाणी, डोली कल्ला, पीएस कल्याणपुर, जिला बालोतरा।

–– प्रार्थी/ अभियुक्त

ः: ब ना म ः:

राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, ब्यावर।

–– अभियोगी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थितः–

1. अधिवक्तागण **श्री सूर्यकांत चौधरी एवं विजयश्री चौधरी**, वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त
2. अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज्य

गिरफ्तारी दिनांकः–28.06.2026

– आ दे श – **दिनांक :– 09.07.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता ने यह आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रस्तुत किया, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2. पत्रावली के अवलोकनानुसार प्रकरण के संक्षित में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 28.06.2026 को दौराने नाकाबंदी वाकै बिजयनगर रोड़, सेंदरिया पुलिया के पास इत्तलानुसार वाहन ब्रेजा कार संख्या CJ–10–AS–2695 को रोका एवं नाम पता पूछने पर चालक ने अपना नाम हड़मानराम उर्फ हनुमान होना व कार की डिग्गी में रखे दो कट्टों में डोडा पोस्त डंठल भरा होना बताया। र्जिस पर उक्त मादक पदाथ को कब्जे में रखने एवं परिवहन करने का लाईसेंस व परमिट मांग गया तो नहीं होना बताया। नियमानुसार कार्यवाही उक्त अवैध मादक

पदार्थ को कब्जे में लिया गया व वजन करने पर दोनों कट्टों में भरे माल का वजन कट्टों सहित कुल 45 किलो 350 ग्राम होना पाया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 232/2026 अपराध अंतर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3. तत्पश्चात बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 08/15 एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त को संबंधित न्यायालय में पेश किया गया। वर्तमान में प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

4. बहस के प्रक्रम पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का पुनर्कथन करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है तथा आरोपित अपराध से उसका कोई संबंध सरोकार नहीं है, प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है तथा प्रार्थी के न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके चरित्र व स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असल पड़ने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त दर्ज पते का स्थायी निवासी है, जिसके कहीं पलायन करने या गवाहान को बहकाने का अंदेशा नहीं है, अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जावें।

5. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता की ओर संकेत करते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का प्रबल विरोध किया।

6. बहस उभयपक्ष सुनी गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/आरोपी जितेंद्र के विरुद्ध एक अन्य आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है– **प्रकरण संख्या 24/2026 अंतर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट, पुलिस थाना बेंगू, जिला चितौड़गढ।**

7. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन करने एवं अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त जितेंद्र पर धारा 8/15 एन.डी.पी.एस.एक्ट का अभियोग है, प्रार्थी की कब्जेशुदा कार से 45 किलो 350 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त डंठल बरामद होना प्रमाणित है। केस डायरी के अवलोकन से जब्तशुदा वाहन अभियुक्त हड़मान का होना स्पष्ट है। बरामदशुदा डोडा पोस्त डंठल वाणिज्यिक मात्रा है। मुताबिक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रार्थी/अभियुक्त पर इसी प्रकृति का एक अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज है। यदि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो उसके द्वारा पुनः इसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति करने की पूर्ण संभावना है। वर्तमान में इस तरह के अपराधों में वृद्धि हो रही है एवं इस तरह के अपराधों से समाज में बढ़ते नशे की प्रवृति व युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात होकर विपरीत संदेश जाता है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी नहीं करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित एवं युक्तियुक्त नहीं है।

–आदेश–

8. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त हड़मान राम उर्फ हनुमान पुत्र गोरधन, उम्र 40 साल, निवासी–गोरों की ढाणी, डोली कल्ला, पीएस कल्याणपुर, जिला बालोतरा की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता **अस्वीकार** कर **खारिज** किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावें तथा एक प्रति जरिये ई–मेल जेल अधीक्षक, ब्यावर को प्रार्थी/अभियुक्त को सूचित करवाने हेतु भिजवाई जावे।

(विकास सिंह चौधरी)
विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं
मनः प्रभावी पदार्थ प्रकरण और
अपर सेशन न्यायाधीश सं. 01, ब्यावर

9. आदेश आज दिनांक 09.07.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

(विकास सिंह चौधरी)
विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं
मनः प्रभावी पदार्थ प्रकरण और
अपर सेशन न्यायाधीश सं. 01, ब्यावर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.09 16:40:50 IST